न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बालोतरा (राज॰)

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार, (आर.जे.एस.)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

(01) **एमएसीटी मूल क्लेम संख्या : 32/2021**
सीआईएस नंबर : 32/2021
CNR : RJBA010002772021

हार्दिक संकलेचा पुत्र स्व. श्री कमलकिशोर संकलेचा, उम्र 34 वर्ष, मूल निवासी पचपदरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा एवं प्लॉट नंबर 16–17, वार्ड नंबर 8 ए, बंगला नंबर 'डी', जालाराम सोसायटी के सामने, रामबाग रोड़, पोस्ट गांधीधाम (कच्छ), गुजरात ।

––प्रार्थी

बनाम

01. हरीराम पुत्र बांकाराम, निवासी भोजाणियों की ढाणी, पुलिस थाना सेड़वा, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर ।
(चालक ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860)
02. लोकेन्द्र बेनिवाल पुत्र रायसिंगाराम बेनिवाल, निवासी घमण्डणियों की ढाणी, बाछड़ाऊ, पुलिस थाना धोरीमन्ना, जिला बालोतरा ।
(मालिक ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860)
03. इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालयः इफ्को सदन, सी–1, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, पोस्टः नई दिल्ली 110 017.
(बीमा कंपनी ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860)

–– अप्रार्थीगण

(02) **एमएसीटी मूल क्लेम संख्या : 33/2021**
सीआईएस नंबर : 33/2021
CNR : RJBA010002782021

हार्दिक संकलेचा पुत्र स्व. श्री कमलकिशोर संकलेचा, उम्र 34 वर्ष, मूल निवासी पचपदरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा एवं प्लॉट नंबर 16–17, वार्ड नंबर 8 ए, बंगला नंबर 'डी', जालाराम सोसायटी के सामने, रामबाग रोड़, पोस्ट गांधीधाम (कच्छ), गुजरात ।

––प्रार्थी

बनाम

01. हरीराम पुत्र बांकाराम, निवासी भोजाणियों की ढाणी, पुलिस थाना सेड़वा, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर ।

(चालक ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860)

02. लोकेन्द्र बेनिवाल पुत्र रायसिंगाराम बेनिवाल, निवासी घमण्डणियों की ढाणी, बाछड़ाऊ, पुलिस थाना धोरीमन्ना, जिला बालोतरा ।

(मालिक ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860)

03. इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालयः इफ्को सदन, सी–1, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, पोस्टः नई दिल्ली 110 017.

(बीमा कंपनी ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860)

–– अप्रार्थीगण

(03) **एमएसीटी मूल क्लेम संख्या : 34/2021**
सीआईएस नंबर : 34/2021
CNR : RJBA010002792021

हार्दिक संकलेचा पुत्र स्व. श्री कमलकिशोर संकलेचा, उम्र 34 वर्ष, मूल निवासी पचपदरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा एवं प्लॉट नंबर 16–17, वार्ड नंबर 8 ए, बंगला नंबर 'डी', जालाराम सोसायटी के सामने, रामबाग रोड़, पोस्ट गांधीधाम (कच्छ), गुजरात ।

––प्रार्थी

बनाम

01. हरीराम पुत्र बांकाराम, निवासी भोजाणियों की ढाणी, पुलिस थाना सेड़वा, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर ।

(चालक ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860)

02. लोकेन्द्र बेनिवाल पुत्र रायसिंगाराम बेनिवाल, निवासी घमण्डणियों की ढाणी, बाछड़ाऊ, पुलिस थाना धोरीमन्ना, जिला बालोतरा ।

(मालिक ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860)

03. इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालयः इफ्को सदन, सी–1, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, पोस्टः नई दिल्ली 110 017.

(बीमा कंपनी ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860)

–– अप्रार्थीगण

(04) **एमएसीटी मूल क्लेम संख्या : 35/2021**
सीआईएस नंबर : 35/2021
CNR : RJBA010002802021

01. श्रीमती सुन्दरदेवी भगवानचन्द संकलेचा पत्नी स्व. श्री भगवानचन्द संकलेचा, उम्र 66 वर्ष, मूल निवासी पचपदरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा एवं प्लॉट नंबर 86, वार्ड नंबर 8 ए, सुभाष नगर, पोस्ट गांधीधाम (कच्छ) गुजरात ।
02. कुलदीप संकलेचा पुत्र स्व. श्री भगवानचन्द संकलेचा, उम्र 48 वर्ष, मूल निवासी

पचपदरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा एवं प्लॉट नंबर 86, वार्ड नंबर 8 ए, सुभाष नगर, पोस्ट गांधीधाम (कच्छ) गुजरात ।

03. राजीव संकलेचा पुत्र स्व. श्री भगवानचन्द संकलेचा, उम्र 46 वर्ष, मूल निवासी पचपदरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा एवं प्लॉट नंबर 86, वार्ड नंबर 8 ए, सुभाष नगर, पोस्ट गांधीधाम (कच्छ) गुजरात ।

04. संकलेचा चन्द्रेश कुमार पुत्र स्व. श्री भगवानचन्द संकलेचा, उम्र 44 वर्ष, मूल निवासी पचपदरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा एवं अमर 20 ए, भोमेश्वर सोसायटी, स्ट्रीट 7, पोस्ट राजकोट (गुजरात) ।

––प्रार्थीगण

बनाम

01. हरीराम पुत्र बांकाराम, निवासी भोजाणियों की ढाणी, पुलिस थाना सेड़वा, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर ।

(चालक ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860)

02. लोकेन्द्र बेनिवाल पुत्र रायसिंगाराम बेनिवाल, निवासी घमण्डणियों की ढाणी, बाछड़ाऊ, पुलिस थाना धोरीमन्ना, जिला बालोतरा ।

(मालिक ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860)

03. इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालयः इफ्को सदन, सी–1, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, पोस्टः नई दिल्ली 110 017.

(बीमा कंपनी ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860)

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम, 1988
संशोधित अधिनियम 1994

उपस्थित:–

01. श्री अरिहंत तातेड़, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से ।
02. अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित (एकपक्षीय दिनांक 03.04.2025)
03. श्री रुगाराम कड़वासरा, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से ।
04. श्री सवाई माहेश्वरी, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से ।

– निर्णय –

दिनांक: 17.08.2026

1. प्रार्थी हार्दिक संकलेचा द्वारा कुल तीन क्लेम याचिका संख्या 32, 33 व 34/2021 एवं प्रार्थीगण श्रीमती सुन्दरदेवी संकलेचा वगैरह् द्वारा एक क्लेम याचिका संख्या 35/2021 अप्रार्थीगण के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 1994 की धारा 166 के तहत दुर्घटना में प्रार्थी हार्दिक

संकलेचा ने उसके माता, पिता व भाई तथा प्रार्थीगण श्रीमती सुन्दरदेवी संकलेचा वगैरह् ने प्रार्थीया सुन्दरदेवी संकलेचा के पति व अन्य प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के संबंध में मुआवजे हेतु दिनांक 27.01.2021 को पेश की गयी । चारों प्रार्थना पत्र एक ही दुर्घटना से संबंधित होने से दिनांक 22.01.2026 को क्लेम संख्या 33/2021, 34/2021 व 35/2021 को क्लेम संख्या 32/2021 के साथ समेकित किया गया ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दुर्घटना दिनांक 19.02.2020 को मृतकगण श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा, कमलकिशोर संकलेचा, यश संकलेचा व भगवानचन्द संकलेचा, वाहन क्रेटा स्थायी नंबर MH–2020–T/R–3735A में गांधीधाम से बालोतरा जा रहे थे । कार को यश संकलेचा सावधानीपूर्वक चला रहा था । रात्रि करीब 10.30 बजे सरहद सिवाडा में सिवाडा पुलिस चौकी परिसर के सामने सिवाडा–झोटडा नेशल हाईवे नंबर 68 पर अप्रार्थी संख्या 01 हरीराम, वाहन ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860 को तेज गति एवं लापरवाही से चलाता हुआ आया तथा क्रेटा कार के पीछे से जोरदार टक्कर मारी जिससे कार आगे चल रहे वाहन बोलेरो नंबर आर जे 04 यू ए 4842 से जा टकराई जिससे क्रेटा कार बुरी तरह से पिचक गई एवं चालक सहित कार में सवार सभी व्यक्ति कार में फंस गए, जिन्हें येन–केन–प्रकारेण बाहर निकाल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचौर लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया । दुर्घटना की रिपोर्ट अशोक कुमार द्वारा पुलिस थाना चितलवाना, सांचौर में पेश की गयी, जिस पर प्रकरण सीआर नं. 22/2020 अंतर्गत धारा 279, 337, 304(ए) भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान उपरांत अप्रार्थी संख्या 01 हरीराम द्वारा ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित किया जाना साबित मानते हुए आरोप पत्र पेश किया । प्रार्थीगण ने दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई क्षतिपूर्ति हेतु विभिन्न मदों में प्रार्थना पत्रों में वर्णित अनुसार मुआवजा दिलाए जाने का निवेदन किया ।

3. अप्रार्थी संख्या 01 के बावजूद तामील गैर हाजिर रहने से उसके विरुद्ध दिनांक 03.04.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

4. अप्रार्थी संख्या 02 ने जवाब प्रस्तुत कर क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया है कि दुर्घटना वाहन कार क्रेटा अस्थायी नंबर MH–2020–T/R–3735A के चालक की गफलत, लापरवाही व उतावलेपन से कारित हुई है । अनुसंधान अधिकारी ने वाहन ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860 को उक्त दुर्घटना में गलत तौर से इन्वॉल्व कर, अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध गलत आरोप पत्र प्रस्तुत किया है । विकल्प में यह भी कथन किया है कि यदि माननीय अधिकरण किसी कदर अप्रार्थी संख्या 02 को प्रतिकर की राशि अदायगी करने हेतु जिम्मेवार माने, उस स्थिति में उसका वाहन वक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी से बीमित होने से प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 02 से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं । अतः अप्रार्थी संख्या 02 के विरुद्ध क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कम्पनी ने जवाब प्रस्तुत कर क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया कि दुर्घटना बोलेरो संख्या आर जे 04 यू ए 4842 की गलती एवं लापरवाही से घटित हुई थी क्योंकि नेशनल हाईवे पर बोलेरो द्वारा अचानक रोड़ के बीचों बीच ब्रेक लगा दिए जिसके कारण पीछे चल रही क्रेटा गाड़ी संख्या एम एच 2020 टी आर 3735–ए व ट्रक संख्या आर जे 19 जी ए 5860 द्वारा भी ब्रेक लगा दिए लेकिन अचानक आगे वाली बोलेरो वाहन संख्या आर जे 04 यू ए 4842 द्वारा एकदम ब्रेक लगा देने के कारण पीछे चल रहे वाहन आगे वाले वाहनों के अंदर घुस गए । उक्त दुर्घटना बोलेरो वाहन संख्या आर जे 04 यू ए 4842 द्वारा घटित की गई थी । बोलेरो चालक, मालिक व बीमा कंपनी को पक्षकार बनाए बिना क्लेम अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के विरुद्ध खारिज योग्य है । प्रार्थीगण मृतक पर आश्रित नहीं थे, जिससे आय की नुकसानी बाबत कोई राशि प्राप्ति के अधिकारी नहीं होना बताते हुए, क्लेम प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 03 के विरुद्ध खारिज करने का निवेदन किया ।

6. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक कायम किए गए:–

01. आया दिनांक 19.02.2020 को समय रात्रि करीब 10.30 बजे सरहद मौजा सिवाडा में सिवाडा–झोटडा नेशनल हाईवे नंबर 68 पर सिवाडा पुलिस चौकी परिसर के सामने अप्रार्थी संख्या 01 ने वाहन ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860 को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए क्रेटा कार अस्थायी नंबर एमएच–2020–टी/आर–3735 ए के पीछे से जोरदार टक्कर मारी जिससे क्रेटा कार आगे चल रहे वाहन बोलेरो नंबर आर जे 04 यू ए 4842 से टकराई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई एवं उक्त दुर्घटना में कारित गंभीर चोटों के परिणामस्वरूप श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा, कमलकिशोर संकलेचा, यश संकलेचा व भगवानचन्द संकलेचा की मृत्यु हो गई ?

–जिम्मे प्रार्थीगण

02. आया प्रार्थी क्लेम प्रार्थना पत्र संख्या 32/2021 में दिए गए विवरण के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्त व पृथक–पृथक क्लेम राशि 23,20,000/– प्राप्त करने का अधिकारी है?

–जिम्मे प्रार्थी हार्दिक संकलेचा

03. आया प्रार्थी क्लेम प्रार्थना पत्र संख्या 33/2021 में दिए गए विवरण के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्त व पृथक–पृथक क्लेम राशि 83,70,000/– प्राप्त करने का अधिकारी है?

–जिम्मे प्रार्थी हार्दिक संकलेचा

04. आया प्रार्थी क्लेम प्रार्थना पत्र संख्या 34/2021 में दिए गए विवरण के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्त व पृथक–पृथक क्लेम राशि 65,50,000/– प्राप्त करने का अधिकारी

है?

–जिम्मे प्रार्थी हार्दिक संकलेचा

05. आया प्रार्थीगण क्लेम प्रार्थना पत्र संख्या 35/2021 में दिए गए विवरण के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्त व पृथक–पृथक क्लेम राशि 32,62,500/– प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

–जिम्मे प्रार्थीगण श्रीमती सुन्दरदेवी वगैरह्

06. आया अप्रार्थी संख्या 03 के जवाब के "विशेष आपत्तियों" नामक शीर्षक में उल्लेखित प्रतिरक्षाओं का क्लेम प्रार्थना पत्र पर क्या प्रभाव है?

–जिम्मे अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी

07. अनुतोष ?

7. प्रार्थी की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में ए.डब्ल्यू. 01 हार्दिक संकलेचा व ए.डब्ल्यू. 02 श्रीमती सुन्दरदेवी के कथन करवाये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में दुर्घटना से संबंधित फौजदारी प्रकरण, इलाज से संबंधित व अन्य दस्तावेज प्रदर्श 01 से 96 प्रदर्शित करवाये ।

8. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से बावजूद अवसर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई । अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से एन.ए.डब्ल्यू. 01 अमित के कथन करवाये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श एनए 01 से एनए 04 प्रदर्शित करवाये ।

9. बहस सुनी गयी । प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860 के चालक अप्रार्थी संख्या 01 हरीराम द्वारा ट्रक को तेज गति व लापरवाही से चलाकर क्रेटा गाड़ी अस्थायी पंजीयन नंबर एम एच 2020 टी आर 3735–ए को पीछे से टक्कर मारी जिससे वाहन क्रेटा उसके आगे चल रही बोलेरो गाड़ी नंबर आर जे 04 यू ए 4842 के पीछे जा टकराई जिससे उक्त दुर्घटना कारित हुई । दुर्घटना में क्रेटा गाड़ी ट्रक व बोलेरो के बीच पिचक गई जिससे क्रेटा

गाड़ी में सवार श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा, कमलकिशोर संकलेचा, यश संकलेचा एवं भगवानचन्द संकलेचा की मृत्यु हो गई एवं दुर्घटना में बोलेरो में पीछे बैठे मगाराम के गंभीर चोटें आई थी । मगाराम द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका संख्या 77/2020 मगाराम बनाम हरीराम वगैरह् में आहत मगाराम ने उसके बयानों में ट्रक द्वारा क्रेटा के पीछे से टक्कर मारना जिससे क्रेटा के आगे चल रही बोलेरो के पीछे टकराने से दुर्घटना होना जिसमें संपूर्ण गलती व उपेक्षा ट्रक चालक की होना बताया है । क्लेम याचिका संख्या 77/2020 में माननीय अधिकरण ने ट्रक चालक हरीराम की उपेक्षा व लापरवाही से दुर्घटना होना साबित माना है । पुलिस द्वारा भी बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 हरीराम की लापरवाही साबित मानते हुए उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

10. यह भी तर्क दिया कि माननीय उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि मृतक पर निर्भर नहीं होने पर भी वयस्क विधिक प्रतिनिधि भी मुआवजा प्राप्ति के अधिकारी हैं । आश्रितता केवल मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है, न कि दावा करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए । मोटर वाहन अधिनियम लाभकारी कानून है जिसके तहत दावा याचिका दायर करने का अधिकार केवल आश्रितों तक सीमित नहीं है बल्कि मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों तक विस्तारित है, इसलिए दावेदार की स्वतंत्र आय होने पर भी मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता है । अतः माफिक क्लेम प्रार्थना पत्र मुआवजा दिलाने का निवेदन किया । अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किएः—

01. Civil Appeal No. of 2025 Arising out of SLP (C) No. 10351/2019 Ranjeet & Anr. Vs Abdul Kayan Neb & Anr. Decided on 25.02.2025
02. 2022 LiveLaw (SC) 666 Janabai Vs ICICI Lombard Insurance Co. Ltd.

03. Punjab amd Haryana High Court, FAO No. 1811 of 2005 (O&M) Paramjit Singh @ Pammi Vs Jaspal Singh & Ors. on 29 April, 2026.

04. 2025 LiveLaw (SC) 309 Civil Appeal No. 3763 of 2025 Sadhana Tomar & Ors. Vs Ashok Kushwaha & Ors.

05. 2024(1) R.A.R. (Raj.) New India Assurance Company Ltd. Vs Dori Lal.

06. 2007(10) SCC 643 Manjuri Bera Vs Oriental Insurance Co. Ltd.

07. 1987(3) SCC 234 Gujarat State Road Transport Corporation Vs Raman Bhai Prabhat Bhai.

08. 2020(1) ACTC (SC) 123 National Insurance Co. Ltd. Vs Birender & Ors.

09. 2015 ACJ 1239 Shashikala and other Vs Gangalakshamamma and another.

10. 2020 LiveLaw (SC) 816 (Civil Appeal No. 7046 of 2022) K. Ramya & Ors. Vs National Insurance Co. Ltd. & Anr.

11. प्रार्थीगण की ओर से दिये गये तर्कों का विरोध करते हुए अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 01 की गलती व लापरवाही से नहीं हुई थी । अप्रार्थी संख्या 02 के वाहन को मिथ्या संलिप्त करते हुए उसके विरुद्ध गलत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है । अतः अप्रार्थी संख्या 02 के विरुद्ध क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया । विकल्प में यह भी तर्क दिया कि यदि माननीय अधिकरण दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 01 की गलती

एवं लापरवाही से घटित होने का निष्कर्ष अंकित करता है उस स्थिति में अप्रार्थी संख्या 02 का वाहन अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी से बीमित होने से क्षतिपूर्ति अदायगी का दायित्व अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी का है ।

12. प्रार्थीगण की ओर से दिये गये तर्कों का विरोध करते हुए अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत साक्षी वक्त दुर्घटना मौके पर नहीं थे, चश्मदीद गवाह कोई साक्ष्य में उपस्थित नहीं हुआ है, जिसके अभाव में दुर्घटना ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860 की गलती से होना साबित नहीं माना जा सकता है । अतः क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

13. यह भी तर्क दिया कि दुर्घटना में प्रार्थी हार्दिक संकलेचा के माता, पिता एवं छोटे भाई की मृत्यु होना बताया है । प्रार्थी स्वयं का पृथक व्यवसाय करता है जिसे उसके माता, पिता व छोटे भाई पर निर्भर नहीं माना जा सकता है । यश संकलेचा उसके माता–पिता पर निर्भर था एवं प्रार्थी बड़े भाई को छोटे भाई पर निर्भर होना भी नहीं माना जा सकता है जिससे यश संखलेचा की मृत्यु से प्रार्थी को आय की हानि होना नहीं माना जा सकता है । मृतक कमलकिशोर सुंदरम इलेक्ट्रिक नाम से व्यवसाय करता था जो फर्म प्रार्थी हार्दिक संकलेचा चला रहा है एवं उक्त व्यवसाय वर्तमान में भी चालू है जिससे मृतक कमलकिशोर की मृत्यु से भी प्रार्थी को आय की हानि होना नहीं माना जा सकता है । मृतका श्रीमती ज्ञानलता को House hold property से आय होती थी जो आय प्रार्थी हार्दिक संकलेचा को वर्तमान में भी प्राप्त हो रही है जिससे उसकी माता की मृत्यु से भी उसे आय की क्षति कारित नहीं हुई है जिससे अधिक से अधिक मृतका श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा की मृत्यु होने से प्यार व स्नेह मद में प्रार्थी राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ।

14. यह भी तर्क दिया कि मृतक भगवानचन्द संकलेचा के तीनों पुत्र बालिग हैं जो स्वयं का पृथक व्यवसाय करते हैं जिससे उन्हें उनके पिता पर निर्भर नहीं माना जा सकता है । मृतक पर उसकी पत्नी श्रीमती सुन्दरदेवी संकलेचा ही

आश्रित थी जिससे मृतक के व्यक्तिगत खर्चे की मद में 1/2 कटौती करते हुए प्रतिकर निर्धारित किया जा सकता है । अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए:–

01. Delhi High Court, MAC.APP. 453/2015 & CM APPL. 9931/2015 National Insurance Co. Ltd. Vs Geeta Tripathi & Ors.
02. Civil Appeal No. 7046 of 2022 (SC) K. Ramya Vs National Insurance Company Ltd.
03. Civil Appeal No. 9581 of 2018 (SC) Magma General Insurance Co. Ltd. Vs Nanu Ram Alias Chuhru Ram.
04. Civil Appeal No. 7593 of 2022 (SC) Manusha Sreekumar Vs The United India Insurance Co. Ltd.
05. AIR 2017 (SC) 5157 National Insurance Co. Ltd. Vs Pranay Sethi.
06. AIR 2020 (SC) 434 National Insurance Company Ltd. Vs Birender.
07. AIR 2019 (SC) 2079 National Insurance Co. Ltd. Vs Mannat Johal.
08. AIR 2005 (SC) 2157 New India Assurance Co. Ltd. Vs Charlie and Anr.
09. SLP (S) No(S). 13931 of 2017 New India Assurance Co. Ltd. Vs Vinish Jain and Ors.
10. AIr 2009 (SC) 3104 Sarla Verma & Ors. Vs Delhi Transport Corp. & Anr.
11. Appeal (civil) 5523 of 2003 State of Haryana

and Another Vs Jasbir Kaur & Ors.

12. AIRONLINE 1996 SC 324 U.P. State Road Transport Corporation and others Vs Trilok Chandra & Others.
13. 2007 ACJ 1676 United India Insurance Co. Ltd. Vs Bhagyalakshmi and Ors.
14. Delhi High Court, MAC.APP. 819/2013 United Indian Insurance Co. Ltd. Vs Meenakshi & Ors.
15. AIR 2009 (SC) 3226 Rani Gupta & Ors. Vs M/S United India Insurance Co. Ltd. & Ors.
16. AIR 2007 (SC) 1474 Manjuri Bera Vs Oriental Insurance Co. Ltd. and Anr.

15. उभय पक्षकारान् की ओर से दिये गये तर्कों को सुना, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिस पर विवाद्यकवार मेरा निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

<u>विवाद्यक संख्या 01</u>

16. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था जिनकी ओर से ए.डब्ल्यू. 01 हार्दिक संकलेचा व ए.डब्ल्यू. 02 श्रीमती सुन्दरदेवी संकलेचा को परीक्षित करवाया गया है । ए.डब्ल्यू. 01 हार्दिक संकलेचा ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में यह कथन किया है कि मृतक यश संकलेचा उसका, मृतक कमलकिशोर संकलेचा पिता व मृतका श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा माता थी जिनकी दिनांक 19.02.2020 को घटित सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई । दिनांक 19.02.2020 को उसका भाई यश संकलेचा क्रेटा कार अस्थायी नंबर MH–2020–T/R–3735A को सावधानीपूर्वक चलाकर गांधीधाम से बालोतरा जा रहा था । कार में उसके पिता कमलकिशोर संकलेचा, माता श्रीमती ज्ञानलता

संकलेचा एवं ताऊजी भगवानचन्द संकलेचा भी बैठे थे । रात्रि करीब 10.30 बजे सरहद सिवाडा में सिवाडा पुलिस चौकी परिसर के सामने सिवाडा–झोटडा नेशल हाईवे नंबर 68 पर अप्रार्थी संख्या 02 लोकेन्द्र बेनिवाल के स्वामित्व के वाहन ट्रक संख्या आर जे 19 जी ए 5860 को अप्रार्थी संख्या 01 हरीराम अत्यंत तेज गति एवं लापरवाही से चलाता हुआ आया तथा उक्त क्रेटा कार के पीछे से जोरदार टक्कर मारी जिससे कार आगे चल रहे वाहन बोलेरो नंबर आर जे 04 यू ए 4842 से जाकर टकराई जिससे क्रेटा कार बुरी तरह से पिचक गई एवं कार में सवार चालक यश संकलेचा, कमलकिशोर संकलेचा, श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा व भगवानचन्द संकलेचा के गंभीर चोटें आई एवं सभी कार में फंस गए, जिन्हें येन–केन–प्रकारेण दुर्घटनाग्रस्त कार में से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचौर लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया । दुर्घटना में यश संकलेचा, कमलकिशोर संकलेचा, श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा व भगवानचन्द संकलेचा की किसी प्रकार की कोई गलती, लापरवाही व असावधानी नहीं थी । पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान ट्रक संख्या आर जे 19 जी ए 5860 के चालक अप्रार्थी संख्या 01 हरीराम के विरुद्ध तेज गति, उपेक्षा एवं लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करना साबित मान, धारा 279, 337, 338 व 304(A) भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया । दस्तावेजी साक्ष्य में दुर्घटना से संबंधित फौजदारी प्रकरण के दस्तावेज प्रदर्श 01 लगायत प्रदर्श 24, प्रदर्श 26 लगायत 29, प्रदर्श 68 लगायत 71 प्रदर्शित करवाए हैं । अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से की गई जिरह में यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना के वक्त वह मौके पर नहीं था । अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से की गई जिरह में यह स्वीकार किया है कि वक्त दुर्घटना वह मौके पर नहीं था इसलिए वह यह नहीं बता सकता कि दुर्घटना कैसे व किसकी गलती से हुई । इस कथन को गलत बताया है कि उक्त दुर्घटना उसके भाई यश की गलती से हुई हो ।

17. ए.डब्ल्यू. 02 श्रीमती सुन्दरदेवी ने उसके मुख्य परीक्षण के सशपथ पत्र में यह कथन किया है कि मृतक भगवानचन्द संकलेचा उसके पति थे जिनकी

दिनांक 19.02.2020 को घटित सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई । दिनांक 19.02.2020 को उसके देवर का पुत्र यश संकलेचा क्रेटा कार अस्थायी नंबर MH–2020–T/R–3735A को सावधानीपूर्वक चलाकर गांधीधाम से बालोतरा जा रहा था एवं कार में उसके पति भगवानचन्द संकलेचा, श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा एवं कमलकिशोर संकलेचा भी बैठे थे । रात्रि करीब 10.30 बजे सरहद सिवाडा में सिवाडा पुलिस चौकी परिसर के सामने सिवाडा–झोटडा नेशल हाईवे नंबर 68 पर अप्रार्थी संख्या 02 लोकेन्द्र बेनिवाल के स्वामित्व के वाहन ट्रक संख्या आर जे 19 जी ए 5860 को अप्रार्थी संख्या 01 हरीराम अत्यंत तेज गति एवं लापरवाही से चलाता हुआ आया तथा क्रेटा कार के पीछे से अत्यंत जोरदार टक्कर मारी जिससे कार आगे चल रहे वाहन बोलेरो नंबर आर जे 04 यू ए 4842 से जाकर टकराई जिससे क्रेटा कार बुरी तरह से पिचक गई एवं कार में सवार उसका भतीजा यश संकलेचा, देवर कमलकिशोर संकलेचा, देवरानी श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा व पति भगवानचन्द संकलेचा सभी के गंभीर चोटें आईं एवं सभी पिचकी कार में फंस गए, जिन्हें येन–केन–प्रकारेण दुर्घटनाग्रस्त कार से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचौर लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया । दुर्घटना में यश संकलेचा, कमलकिशोर संकलेचा, श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा व उसके पति भगवानचन्द संकलेचा की किसी प्रकार की कोई गलती, लापरवाही व असावधानी नहीं थी तथा पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान ट्रक संख्या आर जे 19 जी ए 5860 के चालक अप्रार्थी संख्या 01 हरीराम के विरुद्ध तेज गति, उपेक्षा एवं लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करना साबित मान, धारा 279, 337, 338 व 304(A) भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया । दस्तावेजी साक्ष्य में दुर्घटना से संबंधित फौजदारी प्रकरण के दस्तावेज प्रदर्श 01 लगायत प्रदर्श 24 व प्रदर्श 86 लगायत 89 प्रदर्शित करवाए हैं । अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से की गई जिरह में इस कथन को सही बताया है कि वक्त दुर्घटना वह घर पर थी । अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से की गई जिरह में यह स्वीकार किया है कि वक्त

दुर्घटना वह दुर्घटनास्थल पर नहीं थी ।

18. लिखित रिपोर्ट प्रदर्श 01 अशोक कुमार द्वारा दिनांक 20.02.2020 को 08.30 एएम पर सीएचसी सांचौर में प्रस्तुत की थी जिस अनुसार दिनांक 19.02.2020 को उसके साले भगवानचन्द एवं कमलकिशोर, ज्ञानलता व यश गाड़ी क्रेटा नंबर MH–2020–T/R–3735A में सवार होकर गांधीधाम गुजरात से बालोतरा जा रहे थे । रात करीब 10.30 बजे एनएच 68 पुलिस चौकी सिवाडा सरहद झोटड़ा पहुँचे । उनके आगे एक बोलेरो आर जे 04 यू ए 4842 चल रही थी तब पीछे से ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860 के चालक द्वारा ट्रक को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसके साले की क्रेटा गाड़ी के पीछे से टक्कर मारी । टक्कर लगने से क्रेटा गाड़ी आगे चल रही बोले से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई जिससे उसके साले भगवानचन्द, कमलकिशोर, ज्ञानलता व यश की दुर्घटना में गंभीर चोटें लगने से मृत्यु हो गई । ट्रक चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया ।

19. दुर्घटना में श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा, कमलकिशोर संकलेचा, यश संकलेचा व भगवानचन्द संकलेचा की मृत्यु होने के तथ्य को अप्रार्थीगण ने विवादित नहीं किया है तथा दुर्घटना से श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा, कमलकिशोर संकलेचा, यश संकलेचा व भगवानचन्द संकलेचा की मृत्यु होने का तथ्य दस्तावेज प्रदर्श 25 लगायत 29, प्रदर्श 42, प्रदर्श 67 लगायत 71 व प्रदर्श 86 लगायत 90 से प्रमाणित होता है ।

20. अनुसंधान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त वाहन क्रेटा नंबर MH–2020–T/R3735A को जरिये फर्द प्रदर्श 18 एवं दुर्घटना कारित वाहन ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860 को जरिये फर्द प्रदर्श 05 जब्त किया गया है । उक्त वाहनों की मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श 06 में वाहन ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860 के सभी बचाव कंट्रोल सही होना एवं ट्रक के आगे, ऊपर, नीचे डबल बम्पर लगे हुए होना जो टक्कर लगने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर पीछे की तरफ मुड़ जाना, चारों हैड लाइटें फूटी होना तथा ट्रक के आगे का भाग थोड़ा

पीछे की तरफ धंसा हुआ होकर नंबर प्लेट टूटी हुई होना बताया है। वाहन क्रेटा कार टक्कर लगने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर चालू हालत में नहीं होना एवं पूरी बॉडी, इंजन, टायर, सस्पेंशन सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम, फ्युल सिस्टम वगैरह् सभी बचाव कंट्रोल क्षतिग्रस्त होना एवं चेसिस बैंड होकर सीटें टूटी होना, साइड ग्लास, मैन ग्लास व सभी फाटकों के शीशे टूटे हुए होना बताया है। वाहन बोलेरो नंबर आर जे 04 यू ए 4842 चालू हालत में नहीं होना और टक्कर लगने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त होना एवं बोलेरो के पीछे से टक्कर लगने से बॉडी पूरी तरह से आगे की तरफ खिसकी हुई होना एवं बीच वाली दोनों फाटकें बैण्ड होना, चारों स्प्रिंगें टूटी होना, आगे का बम्पर ड्राइवर साइड से टक्कर लगने से पीछे की तरफ मुड़ा होना व ड्राइवर साइड की हैड लाइट फूटी हुई होना बताया है।

21. फर्द नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श 04 में दुर्घटना एनएच 68 पर मार्क 'X' स्थान पर होना एवं वाहन ट्रक (मार्क 'X1') नंबर आर जे 19 जी ए 5860 के चालक द्वारा ट्रक को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर क्रेटा (मार्क 'X2') के पीछे से टक्कर मारना जिसका मार्क 'X3' स्थान पर बोलेरो नंबर आर जे 04 यू ए 4842 के पीछे टकराना बताया है। नक्शा मौका प्रदर्श 04 के अवलोकन से वाहन ट्रक द्वारा, क्रेटा गाड़ी के पीछे टक्कर मारना जिससे क्रेटा गाड़ी के आगे चल रहे वाहन बोलेरो के टकराना एवं दुर्घटना होना जिसमें संपूर्ण गलती व उपेक्षा ट्रक चालक की होना पाई जाती है।

22. प्रदर्श 07 नोटिस 133 एमवी एक्ट के जवाब में वाहन मालिक लोकेन्द्र बेनिवाल ने वक्त दुर्घटना वाहन ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860 पर चालक हरीराम पुत्र बांकाराम होना बताया है। नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट प्रदर्श 08 के जवाब में वाहन चालक हरीराम ने वक्त दुर्घटना ट्रक पर चालक स्वयं का होना बताया है। पुलिस ने भी अनुसंधान उपरांत वाहन ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860 के चालक अप्रार्थी संख्या 01 हरीराम द्वारा वाहन ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860 को तेज गति व लापरवाही से चलाना साबित मानते हुए उसके विरुद्ध धारा 279, 337, 338 व 304(ए) भारतीय दंड संहिता का अपराध

प्रमाणित मानकर आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया है ।

23. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **Civil Appeal No. of 2025 Arising out of SLP (C) No. 10351/2019 Ranjeet & Anr. Vs Abdul Kayan Neb & Anr. on Decided on 25.02.2025** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि "It is settled in law that once a charge sheet has been filed and the driver has been held negligent, no further evidence is required to prove that the bus was being negligently driven by the bus driver. Even if the eye–witnesses are not examined, that will not be fatal to prove the death of the deceased due to negligence of the bus driver."

2022 LiveLaw (SC) 666 Janabai Vs ICICI Lombard Insurance Co. Ltd. में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवेदन का निर्णय करते समय आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही की तरह आरोपों को साबित करना आवश्यक नहीं होता है, केवल अधिकरण के समक्ष दिए गए साक्ष्य के आधार पर निर्णय करना चाहिए, न कि उस साक्ष्य के आधार पर जो एक आपराधिक मुकदमे में होना चाहिए ।

24. अधिकरण में प्रस्तुत हुई साक्ष्य के समग्र विवेचन से यह प्रकट होता है कि आरोपित ट्रक ने आगे चल रही क्रेटा गाड़ी के टक्कर मारी जिससे क्रेटा गाड़ी उसके आगे चल रही बोलेरो गाड़ी से टकरा गई । ट्रक द्वारा क्रेटा के पीछे से टक्कर मारने के कारण क्रेटा वाहन आगे चल रहे बोलेरो के पीछे टकराया । दुर्घटना ट्रक द्वारा क्रेटा के टक्कर मारने के परिणामस्वरूप घटित हुई है जिसमें संपूर्ण उपेक्षा व लापरवाही ट्रक चालक की रही है । दुर्घटना में वाहन बोलेरो के चालक की उपेक्षा व लापरवाही साबित नहीं होने से उसके चालक, मालिक व बीमा कंपनी आवश्यक पक्षकार होना प्रकट नहीं होता है जिससे बीमा कंपनी द्वारा लिया गया उक्त उजर स्वीकार योग्य नहीं है ।

25. नक्शे मौके की फर्द प्रदर्श 04 में दुर्घटनास्थल पर वाहन क्रेटा गाड़ी नंबर MH–2020–T/R3735A, बोलेरो गाड़ी नंबर आर जे 04 यू ए 4842 व ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860 का मौके पर पड़े होना जिनको पृथक फर्द के जरिये कब्जे लिये जाने का उल्लेख है। ट्रक की फर्द जब्ती प्रदर्श 05 में वाहन ट्रक संख्या आर जे 19 जी ए 5860 को घटनास्थल से जब्त किये जाने का उल्लेख है। दुर्घटना दिनांक 19.02.2020 को रात्रि 10.30 बजे घटित होना बताई है व उसी दिन ट्रक को घटनास्थल से जब्त किया है जिससे दुर्घटना ट्रक संख्या आर जे 19 जी ए 5860 से घटित होने के तथ्य बाबत कोई संदेह नहीं है।

26. इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य साबित है कि वाहन ट्रक नंबर आर जे 19 जी ए 5860 के चालक अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 19.02.2020 को रात्रि करीब 10.30 बजे सरहद मौजा सिवाडा में सिवाडा–झोटडा नेशनल हाईवे नंबर 68 पर सिवाडा पुलिस चौकी परिसर के सामने उक्त वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की एवं दुर्घटना में कारित गंभीर चोटों के परिणामस्वरूप श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा, कमलकिशोर संकलेचा, यश संकलेचा व भगवानचन्द संकलेचा की मृत्यु हुई। अतः विवाद्यक संख्या 01 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 02, 03 व 04 (क्लेम संख्या 32, 33 व 34/2021)</u>

27. इन विवाद्यकों के संबंध में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी हार्दिक संकलेचा मृतका श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा एवं मृतक श्री कमलकिशोर संकलेचा का पुत्र एवं मृतक यश संकलेचा का बड़ा भाई है, जो बालिग एवं शादीशुदा है एवं उसकी स्वयं की पृथक आय है, जिससे उसे मृतकों पर आश्रित नहीं माना जा सकता है, अतः किसी भी प्रकार से आय की हानि की राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आयकर विवरणियों अनुसार मृतका श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा की आय ब्याज व सम्पत्ति से होने वाली आय है, जो आय मृत्यु होने से समाप्त नहीं होती है

एवं ब्याज व संपत्ति से होने वाली आय आज भी हो रही है । मृतका श्रीमती ज्ञानलता की मृत्यु होने से आय की कोई हानि नहीं हुई है जिससे प्रार्थी श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा की आय की हानि मद में राशि प्राप्ति का अधिकारी नहीं है । यह भी तर्क दिया कि मृतक कमलकिशोर संकलेचा पूर्व में सुंदरम इलेक्ट्रिकल्स के नाम से व्यवसाय करते थे जो उनकी मृत्यु के पश्चात् हार्दिक संकलेचा द्वारा टेकओवर कर लिया है जो वर्तमान में उसी नाम से हार्दिक द्वारा चलाया जा रहा है एवं मृतक यश संकलेचा पूर्व में कमल एन्टरप्राइजेज नाम से व्यापार करता था जो उसकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी द्वारा संचालित किया जा रहा है ।

28. इसके विपरीत, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी हार्दिक संकलेचा मृतका श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा एवं मृतक श्री कमलकिशोर संकलेचा का पुत्र एवं मृतक यश संकलेचा का भाई होकर परिवार का सदस्य है जिसे उसके माता–पिता व भाई की मृत्यु से आय की हानि हुई है । प्रार्थी मृतकों का पुत्र/भाई एवं विवाहित होने तथा स्वयं की आय होने के आधार पर ही मुआवजा प्राप्ति के अधिकार से अपात्र नहीं होता है । दावेदार के वयस्क तथा कमाऊ होने पर भी दावेदार उसके माता, पिता व भाई की दुर्घटना में मृत्यु होने से होने वाली आय व नुकसानी की क्षतिपूर्ति बतौर विधिक प्रतिनिधि प्राप्त करने का अधिकारी है । यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी द्वारा सुन्दरम इलेक्ट्रिकल्स के नाम से नया एवं पृथक व्यापार चालू किया है, मृतक कमलकिशोर संकलेचा का व्यापार बंद हो चुका है एवं मृतक यश संकलेचा द्वारा पूर्व में संचालित कमल एन्टरप्राइजेज नामक फर्म उसकी मृत्यु के उपरांत बंद हो चुकी है ।

29. प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की ओर से दिए गए तर्कों को सुना व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों व साक्ष्य का अवलोकन किया ।

30. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ***2020(1) ACTC (SC) 123 National Insurance Co. Ltd. Vs Birender & Ors.*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मृतक के, वयस्क विवाहित तथा कमाऊ पुत्र विधिक प्रतिनिधि होने पर भी प्रतिकर हेतु आवेदन करने का

अधिकार रखते हैं तथा अधिकरण का यह बाध्यकारी दायित्व होगा कि संबंधित विधिक प्रतिनिधि के मृतक पर पूर्णतया आश्रित होने के तथ्य के असंगत आवेदन पर विचार करे तथा दावे को केवल परम्परागत मदों तक सीमित नहीं करें ।

31. न्यायिक दृष्टांत *2025 LiveLaw (SC) 309 Civil Appeal No. 3763 of 2025 Sadhana Tomar & Ors. Vs Ashok Kushwaha & Ors.* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वैध प्रतिनिधि की व्याख्या करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि "The term 'legal representative' under the Motor Vehicle Act should not be given a narrow interpretation to exclude those persons as claimants who were dependent on the deceased's income" तथा यह अभिनिर्धारित किया है कि "A legal representative is one, who suffers on account of death of a person due to a motor vehicle accident and need not necessarily be a wife, husband, parent or child."

32. न्यायिक दृष्टांत *2007(10) SCC 643 Manjuri Bera Vs Oriental Insurance Co. Ltd.* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि "मृतक पर आश्रित न होने वाला कानूनी प्रतिनिधि भी दावा याचिका दायर करने का हकदार है और इस आधार पर उसे मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता एवं आश्रित न होने मात्र से मुआवजा देने का दायित्व समाप्त न हीं हो जाता ।"

33. न्यायिक दृष्टांत *1987(3) SCC 234 Gujarat State Road Transport Corporation Vs Raman Bhai Prabhat Bhai* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि "मोटर वाहन अधिनियम के तहत 'कानूनी प्रतिनिधि' शब्द की उदार और व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए ताकि इसमें मोटर वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीडित सभी व्यक्ति शामिल हों और यह जरुरी नहीं कि पत्नी, पति, माता–पिता या बच्चे ही हों । न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि यह अधिनियम एक लाभकारी

कानून है, इसलिए तकनिकी आधार पर कुछ कानूनी वारिशों को बाहर करने वाली संकीर्ण व्याख्या उचित मुआवजे प्रदान करने के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगी ।"

34. न्यायिक दृष्टांत *2024(1) R.A.R. (Raj.) New India Assurance Company Ltd. Vs Dori Lal* के मामले में 21 **वर्षीय, मृतक के सगे भाई द्वारा दावा किया गया था** एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ***"मृतक के सभी अथवा किसी एक विधिक वारिश जिसे आश्रितता की क्षति हुई है के द्वारा दावा प्रस्तुत किया जा सकता है । मृतक का सगा भाई विधिक उत्तराधिकारी है तथा प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है ।"***

35. न्यायिक दृष्टांत *FAO No. 1811 of 2005 (O&M) Paramjit Singh @ Pammi Vs Jaspal Singh & Ors. on 29 April, 2026* में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि "मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु से संबंधित दावे में, मृतक के कानूनी प्रतिनिधि दावा याचिका दायर करने के हकदार होते हैं । 'कानूनी प्रतिनिधि' शब्द का व्यापक अर्थ है और इसे केवल उन लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता जो मृतक पर आर्थिक रूप से आश्रित थे ।" उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में ***N. Jayasree Vs Cholamandalam MS General Insurance Company Ltd. 2022 (14) SCC 712*** का उद्धरण लिया गया है जिसका पैरा संख्या 16 सुसंगत है जो निम्नानुसार हैः–

> *16. In our view, the term "legal representative" should be given a wider interpretation for the purpose of Chapter XII of the MV Act and it should not be confined only to mean the spouse, parents and children of the deceased. As noticed above, the MV Act is a benevolent legislation enacted for the object of providing monetary relief to the victims or their families. Therefore, the MV Act calls for a liberal and wider interpretation to serve the real purpose underlying the enactment and fulfil its legislative*

intent. We are also of the view that in order to maintain a claim petition, it is sufficient for the claimant to establish his loss of dependency. Section 166 of the MV Act makes it clear that every legal representative who suffers on account of the death of a person in a motor vehicle accident should have a remedy for in a motor vehicle accident should have a remedy for realisation of compensation."

Paramjit Singh @ Pammi Vs Jaspal Singh & Ors. (Supra) के मामले में तथावर्णित अनुसार "मृतक अविवाहित और निःसंतान था और उसके माता–पिता उससे पहले की गुजर चुके थे । परिणामस्वरूप, दावेदार और प्रतिवादी, जो मृतक के भाई–बहन हैं, एकमात्र जीवित कानूनी वारिश थे और उत्तराधिकार योजना के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी के वारिशों की श्रेणी में आते हैं। प्रथम श्रेणी के किसी वारिश के अभाव में, वे न केवल सामान्य अर्थों में कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अपना अधिकार प्राप्त करते हैं, बल्कि मृतक के एकमात्र जीवित वारिश भी हैं । ऐसी परिस्थितियों में, आश्रितता या स्वतंत्र आय के अभाव के आधार पर अपवर्जन का प्रश्न महत्वहीन हो जाता है, विशेषकर तब जब रिकोर्ड में कोई प्रतिस्पर्धी या अधिमान्य वारिश मौजूद न हो । केवल इसलिए कि दावेदार विवाहित है या स्वतंत्र रूप से कमाता है, उसे इस लाभकारी कानून के अंतर्गत मुआवजे का दावा करने से वंचित नहीं किया जा सकता है ।"

36. अतः उक्त न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में, मोटर वाहन अधिनियम मुआवजे का दावा करने के अधिकार को केवल आश्रितों तक सीमित नहीं करती है बल्कि मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों तक विस्तारित करती है। माननीन सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की नजीरों के आलोक में, बीमा कंपनी द्वारा आश्रितता के अभाव के संबंध में उठाया गया तर्क स्वीकार योग्य नहीं है एवं मृतक के कानूनी प्रतिनिधि को मुआवजे के लिए आवेदन करने एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है । विवाद्यकवार प्रतिकर राशि का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता हैः–

<u>विवाद्यक संख्या 02 (क्लेम संख्या 32/2021)</u>

37. इस विवाद्यक को तय किये जाने हेतु सर्वप्रथम मृतका श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा की आयु व आय को निर्धारित किया जाना आवश्यक है । ए.डब्ल्यू. 01 हार्दिक संकलेचा ने उसके बयानों में श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा की जन्मतिथि 21.06.1968 होना एवं वक्त दुर्घटना आयु 51 वर्ष होना कथन किया है । दस्तावेजी साक्ष्य में आयु के संबंध में मृतका के पैन कार्ड की फोटो प्रति प्रदर्श 85ए प्रदर्शित करवाई जिसमें मृतका की जन्मतिथि 15.02.1967 होना उल्लेखित है । दुर्घटना दिनांक 19.02.2020 को हुई है इस अनुसार मृतका श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा की आयु बरवक्त दुर्घटना 53 वर्ष होना पाई जाती है ।

38. जहां तक मृतका की आय का प्रश्न है, ए.डब्ल्यू. 01 हार्दिक संकलेचा ने उसकी माता श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा का शेयरों की खरीद–फरोख्त, विनियोजन एवं जायदाद में विनियोजन कर किराये पर देने का व्यवसाय करना बताया है एवं आय बाबत आयकर रिटर्न प्रदर्श 30 लगायत प्रदर्श 40 पेश किए हैं। अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से की गई जिरह में कथन किया है कि उसकी माता गृहणी थी तथा साथ में निजी व्यवसाय कर आईटीआर भरती थी । इस कथन को सही बताया है कि उसकी माता की आय Income from House Property से होती थी । इस कथन को सही बताया है कि Income from House Property से आय वर्तमान में चालू है, अजखुद कहा कि पूर्व की तरह आय नहीं होती है । इस कथन को गलत बताया है कि वह उसकी माता की आय पर आश्रित नहीं हो ।

39. प्रार्थी की ओर से मृतका श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा द्वारा उसके जीवनकाल में दाखिल आयकर विवरणियाँ एवं संबंधित दस्तावेज प्रदर्श 30 लगायत प्रदर्श 40 प्रदर्शित करवाए हैं, जिनके अवलोकन से उक्त आयकर विवरणियां असेसमेंट वर्ष 2016–2017 से 2018–2019 तक मृतका द्वारा दाखिल की जाना प्रकट होता हैं, जिनमें मृतका की आय का स्रोत Income from House Property और Income from Other Sources से आय होना

साबित होता है ।

40. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ***2020 LiveLaw (SC) 816 (Civil Appeal No. 7046 of 2022) K. Ramya & Ors. Vs National Insurance Co. Ltd. & Anr.*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि मृतक द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान अपने व्यवसाय से प्राप्त आय के संबंध में जो आयकर विवरणियाँ आयकर विभाग में पेश की हैं, वो अधिक विश्वसनीय हैं तथा विभिन्न वित्तीय वर्षों में मृतक को हुई आय का औसत निकालकर आय की गणना की जानी चाहिए ।

कुछ अन्य ऐसे व्यवसाय इस न्यायिक दृष्टांत में सामने आए, जिनसे भी आय हो रही थी, लेकिन उनमें प्रबंधकीय देखभाल और कौशल का उतना उपयोग नहीं होता था, जितना कि मृतक अपने अन्य व्यवसायों में करता था । कुछ परिसरों से किराये की आमदनी मृतक को होती थी, जो मृतक की मृत्यु के बाद लगातार आश्रितों को मिलती रही, लेकिन मृतक के अन्य कारोबारों में उसकी प्रबंधकीय कुशलता पूरी तरह से निहित थी, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिन कारोबारों में प्रबंधकीय कौशल और दिन–प्रतिदिन की सहभागीता मृतक की नहीं रही, उनके संबंध में 2,50,000/– दिलवाए ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक दृष्टांत ***K. Ramaya (Supra)*** में यह भी अभिनिर्धारित किया है कि, **"Entire amout under 'Income from House Property and Agricultural Land' need not be deducted merely because properties have been bequeathed to dependents. Compensation towards loss of managerial skills can be awarded."**

हमारे समक्ष जो प्रकरण है, उसमें भी मृतका की ऐसी ही आय शामिल है, जो किराये, फिक्स इनकम के रूप में उसे प्राप्त होती रही है तथा House Property से प्राप्त आय के संबंध में प्रबंधकीय कौशल के रूप में राशि दिलाया जाना भी उचित प्रतीत होता है ।

जिस House Property से मृतका को आय प्राप्त होती है, उसका वह खुद प्रबंध करती थी और उस House Property की देखरेख हेतु किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने पर उसको भी वेतन देना पड़ेगा, जिसे कम से कम वेतन दिया जाए उस सूरत में भी एक अकुशल श्रमिक के बराबर वेतन तो देना ही पड़ेगा तथा दुर्घटना दिनांक 19.02.2020 को एक अकुशल श्रमिक को देय मासिक न्यूनतम आय 5,850/– थी । मृतका श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा मृत्यु के समय 53 वर्ष की थी, एक घरेलू एवं कामकाजी विवाहित महिला रही है, जो दुर्घटना के समय किसी भी शारीरिक निर्योग्यता से ग्रसित नहीं थी । मृतका द्वारा संपादित दैनिक अपने घरेलू कार्यों एवं दैनिक क्रियाकलापों के मध्यनजर यदि उक्त कार्य करने हेतु किसी व्यक्ति की सेवाएँ प्राप्त की जाये उस स्थिति में भी पारिश्रमिक अथवा मजदूरी अवश्य ही देनी पड़ेगी एवं पारिश्रमिक पर रखे व्यक्ति द्वारा उस लग्न एवं मेहनत से कार्य को 24x7 संपादित नहीं किया जाता जिस प्रकार से मृतका द्वारा सम्पादित किया जाता । मृतका परिवार की सदस्य होने के नाते उसका परिवार के सदस्यों के प्रति समर्पण एवं सेवा का स्थान अन्य व्यक्ति नहीं ले सकता है । अतः मृतका की आयु एवं प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए मृतका श्रीमती ज्ञानलता संकलेचा की आय कम से कम एक कुशल श्रमिक की आय मानते हुए तत्समय प्रवृत्त कुशल श्रमिक को देय मजदूरी अनुसार उसकी मासिक आय 6,474/– रुपये थी ।

41. इस प्रकार, मृतका की मृत्यु से होने वाली हानि के प्रयोजनार्थ मासिक आय 6,474 + 5,850 = 12,324/– रुपये तद्नुसार 1,47,888/– वार्षिक आय निर्धारित की जाती है ।

42. मृतका की आयु 53 वर्ष होने से **सरला वर्मा बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन 2009(2) टी.ए.सी. 677 एस.सी.** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 11 का गुणक उपयोग में लेते हुए मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

43. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्पेशल लिव पीटीशन (सिविल) नंबर**

25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2017 के अनुसार मृतका की उम्र 50–60 वर्ष के बीच होने से भविष्य में आय की वृद्धि के रूप में 10% राशि जोड़ी जाना उचित प्रतीत होता है। अतः इस प्रकार भविष्य की आय वृद्धि को जोड़ते हुए मृतका की वार्षिक आय 1,47,888 + 10% = 1,62,677/– रुपये होती है।

44. मृतका पर आश्रित प्रार्थी उसका पुत्र है एवं मृतका विवाहित रही है, जिससे मृतका स्वयं के व्यक्तिगत खर्चे के रूप में 1/3 राशि कटौती की जाना समुचित प्रतीत होता है। इस प्रकार मृतका की वार्षिक आय की हानि 1,62,677/– – 1/3 (54,226) = 1,08,451/– रुपये तय की जाती है।

45. इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील नंबर 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** में प्रार्थीगण को Loss of consortium में 40,000/–, Loss of estate के रूप में 15,000/– रुपये एवं मृतक के दाह संस्कार मद में 15,000/– रुपये दिलाया जाना, जिसमें प्रत्येक 03 वर्ष की समाप्ति के पश्चात 10–10 प्रतिशत राशि जोड़कर बढ़ाया जाना सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत वर्ष 2017 का है, जिसे 06 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, जिससे Loss of consortium मद में 20 प्रतिशत, Loss of estate मद में 20 प्रतिशत तथा दाह संस्कार मद में 20 प्रतिशत राशि जोड़कर मुआवजा निर्धारण किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

46. इस प्रकार प्रार्थी को दिलवाई जाने वाली प्रतिकर राशि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1.	मृतका की आयु	52 वर्ष
2.	गुणक	11
3.	वार्षिक आय भविष्य की आय वृद्धि सहित (रुपए में)	1,62,677/–
4.	मृतका के स्वयं के खर्चों की 1/3 कटौती	54,226/–
5.	कुल आय की हानि (1,08,451 X 11)	11,92,961/–

6.	अंतिम संस्कार मद में रुपए	18,000/-
7.	Loss of estate मद में रुपए	18,000/-
8.	Loss of consortium (48,000 X 1) मद में रुपए	48,000/-
9.	यातायात पर हुए व्यय के पेटे	10,000/-
	कुल मुआवजा राशि	12,86,961/-

47. उपरोक्त अनुसार विवाद्यक संख्या 02 प्रार्थी हार्दिक संकलेचा के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है ।

<u>विवाद्यक संख्या 03 (क्लेम संख्या 33/2021)</u>

48. इस विवाद्यक को तय किये जाने हेतु सर्वप्रथम मृतक कमलकिशोर संकलेचा की आयु व आय को निर्धारित किया जाना आवश्यक है । इस संबंध में ए.डब्ल्यू. 01 हार्दिक संकलेचा ने उसके पिता कमलकिशोर संकलेचा की जन्मतिथि 10.10.1965 होना एवं मृतक की आयु 54 वर्ष होना कथन किया है एवं आयु के संबंध में मृतक के ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो प्रति प्रदर्श 85ए प्रदर्शित करवाई हैं एवं मृतक कमलकिशोर संकलेचा के पैन कार्ड की फोटो प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध है । मृतक कमलकिशोर संकलेचा के ड्राइविंग लाइसेंस व पैन कार्ड में जन्मतिथि 10.10.1965 होना उल्लेखित है । दुर्घटना दिनांक 19.02.2020 को हुई है, इस अनुसार मृतक कमलकिशोर संकलेचा की आयु बरवक्त दुर्घटना 54 वर्ष 04 माह होना साबित है ।

49. जहां तक मृतक की आय का प्रश्न है, ए.डब्ल्यू. 01 हार्दिक संकलेचा ने कथन किया है कि उसके पिता कमलकिशोर संकलेचा शॉप नंबर 3, पी एण्ड पी प्लाजा, प्लोट नंबर 341, वार्ड 12बी, गांधीधाम में मैसर्स सुन्दरम इलेक्ट्रिकल्स के नाम से बतौर प्रोपराइटर स्वयं का व्यवसाय करते थे जिसके जीएसटी नंबर 24AEAPS1240J1ZS है । उसके पिता आयकर दाता थे जिनका स्थायी खाता संख्या AEAPS1240J आवंटित था । उसके पिता की वित्त वर्ष 2015-2016 कर निर्धारण वर्ष 2016-2017 में कर योग्य आय 10,02,544/- रुपये, वित्त

वर्ष 2016–2017 कर निर्धारण वर्ष 2017–2018 में कर योग्य आय 6,63,372/– रुपये, वित्त वर्ष 2017–2018 कर निर्धारण वर्ष 2018–2019 में कर योग्य आय 11,09,644/– रुपये व वित्त वर्ष 2018–2019 कर निर्धारण वर्ष 2019–2020 में कर योग्य आय 5,99,768/– रुपये थी। आय के संबंध में आयकर रिटर्न, फर्म रजिस्ट्रेशन, जीएसटी तथा ऑडिट रिपोर्ट बाबत दस्तावेज प्रदर्श 43 ए लगायत प्रदर्श 64 ए पेश किए है। अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से की गई जिरह में इस कथन को गलत बताया है कि वह दुर्घटना के वक्त उसके पिता के व्यवसाय में साथ हो, अजखुद कहा कि वह UPSC की तैयारी कर रहा था। इस कथन को गलत बताया है कि उसके पिता के व्यवसाय पर ही उसका व्यवसाय शुरु किया हो, अजखुद कहा कि उसने उसका व्यवसाय अलग से शुरु किया है। इस कथन को सही बताया है कि उसने उसके पिताजी की खाताबही, बैंक स्टेटमेंट व अन्य लेनदेन संबंधी दस्तोवज पेश नहीं किए, अजखुद कहा कि आईटीआर रिटर्न व ऑडिट रिपोर्ट पेश की है। इस कथन को सही बताया है कि उसके पिता के नाम की फर्म दिनांक 01.03.2020 को बंद हुई थी। इस कथन को गलत बताया है कि वह उसके पिता की आय पर आश्रित नहीं हो।

50. बीमा कंपनी की ओर से परीक्षित साक्षी एन.ए.डब्ल्यू. 01 का कथन है कि मृतक कमलकिशोर संकलेचा मृत्यु से पूर्व सुंरदम इलेक्ट्रिकल्स के नाम से व्यवसाय करते थे जो उनकी मृत्यु के पश्चात् हार्दिक संकलेचा द्वारा टेकओवर कर लिया गया है जो कि वर्तमान में उसी नाम से हार्दिक द्वारा चलाया जा रहा है जो विवरण प्रदर्श एनए 02 में है। **प्रार्थीगण की ओर से की गई जिरह में** इस कथन को सही बताया है कि प्रदर्श 84 के माध्यम से सुंदरम इलेक्ट्रिकल फर्म मालिक प्रतिष्ठान कमलकिशोर की फर्म का जीएसटी नंबर दिनांक 01.03.2020 को बंद हो चुका था अजखुद कहा कि सुंरदम इलेक्ट्रिकल के नाम से ही हार्दिक संकलेचा द्वारा पृथक जीएसटी नंबर से फर्म दिनांक 19.02.2020 को रजिस्टर करवाई गई थी। इस कथन को सही बताया है कि हार्दिक संकलेचा द्वारा उसके स्वर्गीय

पिताजी के नाम से जो जीएसटी नंबर लिए थे उस जीएसटी नंबर से व्यवसाय नहीं किया अजखुद कहा कि उसी फर्म के नाम से स्वयं का व्यवसाय किया । इस कथन को सही बताया है कि हार्दिक संकलेचा ने अलग से जीएसटी नंबर लेकर सुंदरम इलेक्ट्रिकल नाम से व्यापार शुरु किया था, उसके पिताजी कमलकिशोर के जीएसटी नंबर को बरकरार रखते हुए नहीं किया था । इस कथन को सही बताया है कि हार्दिक संकलेचा व कमलकिशोर के जीएसटी एड्रेस अलग–अलग हैं किन्तु गांधीधाम कच्छ गुजरात में ही है । इस कथन को सही बताया है कि हार्दिक संकलेचा ने कमलकिशोर का व्यवसाय टेकओवर किया इसके संबंध में कोई दस्तावेज उसने पेश नहीं किया ।

51. बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श एनए 02 के अवलोकन से मृतक कमलकिशोर संकलेचा की फर्म सुंदरम इलेक्ट्रिकल्स जीएसटी नंबर 24AEAPS1240J1ZS एवं फर्म का पता– प्लॉट नंबर 314, शॉप नंबर 3, पी एण्ड पी प्लाजा, वार्ड 12 बी, गांधीधाम है, जिसका जीएसटी नंबर दिनांक 01.03.2020 को रद्द हो चुका है तथा हार्दिक संकलेचा द्वारा पृथक जीएसटी नंबर 24CFSPS0285L1ZR से सुंदरम इलेक्ट्रिकल्स के नाम से एक पृथक फर्म दिनांक 19.02.2020 को रजिस्टर करवाई जाना जिसका पता– ग्राउंड फ्लोर, शॉप नंबर 1, सेक्टर 1 ए, प्लॉट नंबर 255, पीजीवीसीएल ऑफिस के सामने, गांधीधाम है, से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी हार्दिक संकलेचा द्वारा संचालित फर्म सुंरदम इलेक्ट्रिकल्स और मृतक कमलकिशोर संकलेचा द्वारा संचालित फर्म सुंदरम इलेक्ट्रिकल्स दोनों पृथक–पृथक फर्में हैं तथा मृतक कमलकिशोर संकलेचा की फर्म उसकी मृत्यु उपरांत दिनांक 01.03.2020 को बंद हो चुकी है। प्रार्थी हार्दिक संकलेचा की फर्म सुंदरम इलेक्ट्रिकल्स व मृतक कमलकिशोर संकलेचा की फर्म सुंदरम इलेक्ट्रिकल्स के जीएसटी नंबर अलग–अलग हैं, केवल प्रार्थी हार्दिक संकलेचा द्वारा समान नाम से व्यवसाय करने से यह नहीं माना जा सकता कि मृतक का व्यवसाय अब भी चालू है । प्रदर्श 84 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि फर्म सुंदरम इलेक्ट्रिकल्स कमलकिशोर की फर्म का जीएसटी

नंबर दिनांक 01.03.2020 को रद्द हो चुका था जिससे स्पष्ट है कि उक्त व्यवसाय वर्तमान में संचालित नहीं हो रहा है ।

52. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ***2020 LiveLaw (SC) 816 (Civil Appeal No. 7046 of 2022) K. Ramya & Ors. Vs National Insurance Co. Ltd. & Anr.*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि "Mere fact that the Deceased's share of ownership in these businesses ventures was transferred to the Deceased's minor children just before his death or to the dependents after his death is not a sufficient justification to conclude that the benefits of there businesses continue to accrue to his dependents."

53. इस प्रकार यदि मृतक की मृत्यु उपरांत उसका व्यवसाय उसके आश्रितों को हस्तांतरित हो भी जाता है तो भी मृतक द्वारा वर्षों से जिस प्रबंधकीय कौशल व योग्यता के आधार पर व्यवसाय संचालित किया जा रहा था उसकी अकस्मात सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण उक्त वर्षों के अनुभव के आधार पर अर्जित प्रबंधकीय क्षमता एवं कार्यकुशलता का लाभ आगे प्रार्थी को नहीं मिल पाएगा एवं उक्त व्यापार/फर्म की आय अर्जन क्षमता में भी निश्चित तौर पर कमी आएगी । बीमा कंपनी के साक्षी एन.ए.डब्ल्यू. 01 अमित ने दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि मृतक कमलकिशोर की फर्म का जीएसटी नंबर दिनांक 01.03.2020 को बंद हो चुका है । मृतक के पुत्र हार्दिक संकलेचा ने यह कथन किया है कि उसके पिता की फर्म दिनांक 01.03.2020 को बंद हो चुकी है तथा उसके पिता की मृत्यु से उसे आर्थिक नुकसान भी हुआ है ।

54. प्रार्थी द्वारा मृतक कमलकिशोर संकलेचा द्वारा उसके जीवनकाल में दाखिल आयकर विवरणियाँ एवं संबंधित दस्तावेज प्रदर्श 42 लगायत प्रदर्श 64 प्रदर्शित करवाए हैं । प्रदर्श 43 के अवलोकन से मृतक कमलकिशोर संकलेचा सुदंरम इलेक्ट्रिकल्स का प्रोपराइटर होना पाया जाता है । प्रार्थी द्वारा मृतक कमलकिशोर संकलेचा द्वारा उसके जीवनकाल में दाखिल आयकर विवरणियाँ

प्रदर्श 43 ए, प्रदर्श 45, प्रदर्श 52 व प्रदर्श 59 प्रदर्शित करवाई हैं ।

55. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ***2020 LiveLaw (SC) 816 (Civil Appeal No. 7046 of 2022) K. Ramya & Ors. Vs National Insurance Co. Ltd. & Anr.*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि मृतक द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान अपने व्यवसाय से प्राप्त आय के संबंध में जो आयकर विवरणियाँ आयकर विभाग में पेश की हैं, वो अधिक विश्वसनीय हैं तथा विभिन्न वित्तीय वर्षों में मृतक को हुई आय का औसत निकालकर आय की गणना की जानी चाहिए ।

56. मृतक कमलकिशोर संकलेचा द्वारा उसके जीवनकाल में दाखिल आकर विवरणियों का औसत निकालते हुए मृतक की आय का निर्धारण किया जाना उचित प्रतीत होता है । मृतक द्वारा दाखिल आयकर विवरणियों में उसकी आय, देय योग्य कर की कटौती करने के पश्चात्, असेसमेंट वर्ष 2016–2017 में 8,95,844/– रुपये {10,02,544 (Gross Income) – 1,06,700 (Tax Paid)}, असेसमेंट वर्ष 2017–2018 में 5,98,372/– रुपये {6,63,372 (Gross Income) – 65,000 (Tax Paid)}, असेसमेंट वर्ष 2018–2019 में 9,34,404/– रुपये {11,09,644 (Gross Income) – 1,75,240 (Tax Paid)} व असेसमेंट वर्ष 2019–2020 में 5,61,858/– रुपये {5,99,768 (Gross Income) – 37,910 (Tax Paid)} होना प्रकट होता है जिनका औसत (29,90,478/4 = 7,47,620/–) के आधार पर मृतक की वार्षिक आय 7,47,620/– निर्धारित की जाती है ।

57. मृतक की आयु 54 वर्ष 04 माह होने से **सरला वर्मा बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन 2009(2) टी.ए.सी. 677 एस.सी.** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 11 का गुणक उपयोग में लेते हुए मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

58. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्पेशल लिव पीटीशन (सिविल) नंबर 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** में

पारित निर्णय दिनांक 31.10.2017 के अनुसार मृतक की उम्र 50–60 वर्ष के बीच होने से भविष्य में आय की वृद्धि के रूप में 10% राशि जोड़ी जाना उचित प्रतीत होता है । अतः इस प्रकार भविष्य की आय वृद्धि को जोड़ते हुए मृतक की वार्षिक आय 7,47,620 + 10% = 8,22,382/– रुपये होती है ।

59. मृतक पर आश्रित प्रार्थी उसका पुत्र है एवं मृतक विवाहित रहा है, जिससे मृतक स्वयं के व्यक्तिगत खर्चे के रूप में 1/3 राशि कटौती की जाना समुचित प्रतीत होता है । इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय की हानि 8,22,382/– – 1/3 (2,74,127) = 5,48,255/– रुपये तय की जाती है ।

60. इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील नंबर 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** में प्रार्थीगण को Loss of consortium में 40,000/–, Loss of estate के रूप में 15,000/– रुपये एवं मृतक के दाह संस्कार मद में 15,000/– रुपये दिलाया जाना, जिसमें प्रत्येक 03 वर्ष की समाप्ति के पश्चात 10–10 प्रतिशत राशि जोड़कर बढ़ाया जाना सिद्धांत प्रतिपादित किया है । उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत वर्ष 2017 का है, जिसे 06 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, जिससे Loss of consortium मद में 20 प्रतिशत, Loss of estate मद में 20 प्रतिशत तथा दाह संस्कार मद में 20 प्रतिशत राशि जोड़कर मुआवजा निर्धारण किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

61. इस प्रकार प्रार्थी को दिलवाई जाने वाली प्रतिकर राशि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1.	मृतक की आयु	54 वर्ष 04 माह
2.	गुणक	11
3.	वार्षिक आय भविष्य की आय वृद्धि सहित (रुपए में)	8,22,382/–
4.	मृतक के स्वयं के खर्चों की 1/3 कटौती	2,74,127/–
5.	कुल आय की हानि (5,48,255 X 11)	60,30,805/–
6.	अंतिम संस्कार मद में रुपए	18,000/–

7.	Loss of estate मद में रुपए	18,000/–
8.	Loss of consortium (48,000 X 1) मद में रुपए	48,000/–
9.	यातायात पर हुए व्यय के पेटे	10,000/–
	कुल मुआवजा राशि	61,24,805/–

62. उपरोक्त अनुसार विवाद्यक संख्या 03 प्रार्थी हार्दिक संकलेचा के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है ।

<u>**विवाद्यक संख्या 04 (क्लेम संख्या 34/2021)**</u>

63. इस विवाद्यक को तय किये जाने हेतु सर्वप्रथम मृतक यश संकलेचा की आयु व आय को निर्धारित किया जाना आवश्यक है । इस संबंध में ए.डब्ल्यू. 01 हार्दिक संकलेचा ने उसके भाई यश संकलेचा की जन्मतिथि 20.03.1997 होना एवं मृतक की आयु 23 वर्ष होना कथन किया है एवं आयु के संबंध में मृतक के ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो प्रति प्रदर्श 65 व Extract of Driving Licence प्रदर्श 66 तथा पैन कार्ड प्रदर्श 72 प्रदर्शित करवाए हैं जिन सभी में मृतक की जन्मतिथि 20.03.1997 होना उल्लेखित है तथा दुर्घटना दिनांक 19.02.2020 को हुई है, इस अनुसार मृतक यश संकलेचा की आयु बरवक्त दुर्घटना 22 वर्ष 10 माह होना साबित है ।

64. जहां तक मृतक की आय का प्रश्न है, ए.डब्ल्यू. 01 हार्दिक संकलेचा ने कथन किया है कि उसका भाई यश संकलेचा शॉप नंबर 13, पी एण्ड पी प्लाजा, प्लोट नंबर 314, वार्ड 12 बी, गांधीधाम में मैसर्स कमल एन्टरप्राइजेज नाम से बतौर प्रोपराइटर स्वयं का व्यवसाय करता था जिसके जीएसटी नंबर 24GCQPS9351N1ZI है । उसका भाई आयकर दाता था जिसका स्थायी खाता संख्या GCQPS9351N आवंटित था । उसके भाई ने वित्त वर्ष 2018–2019 कर निर्धारण वर्ष 2019–2020 में मैसर्स कमल एन्टरप्राइजेज से रुपये 1,92,466/–, पूंजीगत लाभ (Capital gains) के रुपये 19,802/–, अन्य स्रोत से आय 105/– रुपये तथा मैसर्स कैलाश इलेक्ट्रिकल्स एण्ड हार्डवेयर,

गांधीधाम से रुपये 2,50,000/– वेतन, इस प्रकार, कुल 4,62,373/– रुपये शुद्ध कर योग्य आय अर्जित की थी । आय के संबंध में दस्तावेज प्रदर्श 73 लगायत प्रदर्श 82 पेश किए है । अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से की गई जिरह में कथन किया है कि यश उसका छोटा भाई था । इस कथन को सही बताया है कि उसके भाई यश की शादी नहीं हुई थी, वह कुंवारा था । इस कथन को गलत बताया है कि उसके भाई के व्यवसाय पर ही उसका व्यवसाय शुरु किया हो, अजखुद कहा कि उसने उसका व्यवसाय अलग से शुरु किया है । इस कथन को सही बताया है कि उसके भाई की फर्म दिनांक 23.03.2021 को बंद करवाई थी । इस कथन को गलत बताया है कि वह उसके भाई की आय पर आश्रित नहीं हो ।

65. बीमा कंपनी की ओर से परीक्षित साक्षी एन.ए.डब्ल्यू. 01 का कथन है कि मृतक यश संकलेचा मृत्यु से पूर्व कमल एंटरप्राइजेज नाम से बिजनेस कर रहा था जो उसकी मृत्यु के पश्चात् दिनांक 23.03.2021 तक उसके भाई हार्दिक द्वारा चलाया जा रहा था तथा दस्तावेज प्रदर्श एनए 03 प्रस्तुत किया है ।

66. बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श एनए 03 के अवलोकन से मृतक यश संकलेचा की फर्म कमल एन्टरप्राइजेज जीएसटी नंबर 24GCQPS9351N1ZI का जीएसटी नंबर दिनांक 23.03.2021 को रद्द हो चुका है जिससे स्पष्ट है कि मृतक यश संकलेचा की फर्म उसकी मृत्यु उपरांत दिनांक 23.03.2021 को बंद हो चुकी है । प्रदर्श 83 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि फर्म कमल एन्टरप्राइजेज यश संकलेचा की फर्म का जीएसटी नंबर दिनांक 23.03.2021 को रद्द हो चुका था जिससे स्पष्ट है कि उक्त व्यवसाय वर्तमान में संचालित नहीं हो रहा है ।

67. प्रार्थी द्वारा मृतक यश संकलेचा द्वारा उसके जीवनकाल में दाखिल आयकर विवरणियाँ एवं संबंधित दस्तावेज प्रदर्श 73 लगायत प्रदर्श 82 प्रदर्शित करवाई है । प्रदर्श 73 के अवलोकन से मृतक यश संकलेचा कमल एन्टरप्राइजेज का प्रोपराइटर होना पाया जाता है । प्रार्थी द्वारा मृतक यश संकलेचा द्वारा उसके

जीवनकाल में दाखिल आयकर विवरणी प्रदर्श 75 प्रदर्शित करवाई है तथा मैसर्स कैलाश इलेक्ट्रिकल्स एण्ड हार्डवेयर द्वारा जारी फॉर्म नंबर 16 प्रदर्श 82 प्रस्तुत किया है जिसमें मृतक यश संकलेचा द्वारा 2,50,000/– रुपये वेतन उक्त फर्म से प्राप्त करना तथा प्रदर्श 75 के अवलोकन से वेतन में से 40,000/– रुपये का स्टेण्डर्ड डिडक्शन कम करने पर वेतन से प्राप्त कर योग्य आय 2,10,000/– रुपये होना बताया गया है । इसके अतिरिक्त मृतक द्वारा व्यापार से प्राप्त आय 1,92,466/– रुपये व पूंजीगत प्राप्तियाँ 19,802/– रुपये व ब्याज से प्राप्त आय 105/– रुपये है । मृतक द्वारा ब्याज से प्राप्त को आय की हानि की गणना हेतु प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है तथा शेष मदों से प्राप्त आय (2,50,000+ 1,92,466+ 19,802) 4,62,268/– को ही मृतक की आय की गणना में प्रयुक्त किया जा सकता है जिसमें से मृतक द्वारा देय योग्य कर की राशि 9,170/– रुपये कम की जाकर शेष राशि 4,53,098/– मृतक की वार्षिक आय के रूप में अभिनिर्धारित की जाती है ।

68. मृतक की आयु 22 वर्ष 10 माह होने से **सरला वर्मा बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन 2009(2) टी.ए.सी. 677 एस.सी.** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 18 का गुणक उपयोग में लेते हुए मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

69. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्पेशल लिव पीटीशन (सिविल) नंबर 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2017 के अनुसार मृतक की उम्र 40 वर्ष से कम होने से भविष्य में आय की वृद्धि के रूप में 40% राशि जोड़ी जाना उचित प्रतीत होता है । अतः इस प्रकार भविष्य की आय वृद्धि को जोड़ते हुए मृतक की वार्षिक आय 4,53,098 + 40% = 6,34,337/– रुपये होती है ।

70. मृतक अविवाहित था, जिससे मृतक स्वयं के व्यक्तिगत खर्चे के रूप में 1/2 राशि कटौती की जाना समुचित प्रतीत होता है । इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय की हानि 6,34,337/– – 1/2 (3,17,169)

= 3,17,168/– रुपये तय की जाती है ।

71. इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील नंबर 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** में प्रार्थीगण को Loss of consortium में 40,000/–, Loss of estate के रूप में 15,000/– रुपये एवं मृतक के दाह संस्कार मद में 15,000/– रुपये दिलाया जाना, जिसमें प्रत्येक 03 वर्ष की समाप्ति के पश्चात 10–10 प्रतिशत राशि जोड़कर बढ़ाया जाना सिद्धांत प्रतिपादित किया है । उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत वर्ष 2017 का है, जिसे 06 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, जिससे Loss of consortium मद में 20 प्रतिशत, Loss of estate मद में 20 प्रतिशत तथा दाह संस्कार मद में 20 प्रतिशत राशि जोड़कर मुआवजा निर्धारण किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

72. इस प्रकार प्रार्थी को दिलवाई जाने वाली प्रतिकर राशि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1.	मृतक की आयु	22 वर्ष 10 माह
2.	गुणक	18
3.	वार्षिक आय भविष्य की आय वृद्धि सहित (रुपए में)	6,34,337/–
4.	मृतक के स्वयं के खर्चों की 1/2 कटौती	3,17,169/–
5.	कुल आय की हानि (3,17,168 X 18)	57,09,024/–
6.	अंतिम संस्कार मद में रुपए	18,000/–
7.	Loss of estate मद में रुपए	18,000/–
8.	Loss of consortium (48,000 X 1) मद में रुपए	48,000/–
9.	यातायात पर हुए व्यय के पेटे	10,000/–
	कुल मुआवजा राशि	58,03,024/–

73. उपरोक्त अनुसार विवाद्यक संख्या 04 प्रार्थी हार्दिक संकलेचा के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है ।

<u>विवाद्यक संख्या 05 (क्लेम संख्या 35/2021)</u>

74. इस विवाद्यक को तय किये जाने हेतु सर्वप्रथम मृतक भगवानचन्द संकलेचा की आयु व आय को निर्धारित किया जाना आवश्यक है । इस संबंध में प्रार्थीया ए.डब्ल्यू. 02 श्रीमती सुन्दरदेवी संकलेचा ने उसके पति भगवानचन्द संकलेचा की जन्मतिथि 25.12.1954 होना एवं मृतक की आयु 65 वर्ष होना कथन किया है । आयु के संबंध में मृतक के पैन कार्ड की फोटो प्रति प्रदर्श 91 प्रस्तुत की है जिसमें जन्मतिथि 25.12.1954 होना उल्लिखित है तथा दुर्घटना दिनांक 19.02.2020 को हुई है, इस अनुसार मृतक भगवानचन्द संकलेचा की आयु बरवक्त दुर्घटना 65 वर्ष 01 माह 25 दिन होना प्रकट होता है ।

75. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ***2015 ACJ 1239 Shashikala and other Vs Gangalakshamamma and another*** के मामले में मृतक की जन्मतिथि 16.06.1961 थी । दुर्घटना की तिथि, अर्थात् दिनांक 14.12.2006 को मृतक की आयु 45 वर्ष 25 महीने और 28 दिन थी, जबकि न्यायाधिकरण ने उनकी आयु 46 वर्ष मानी । माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मृतक की आयु 45 वर्ष मानी गई, जिसे बरकरार रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मृतक द्वारा 45 वर्ष की ही आयु पूरी किए जाने के कारण, मृतक की आयु 45 वर्ष मानते हुए प्रतिकर राशि का निर्धारण करना उचित माना ।

76. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक निर्णय में प्रतिपादित मतानुसार चूंकि हस्तगत प्रकरण में भी मृतक द्वारा 65 वर्ष की आयु ही पूर्ण की गई थी, उसके द्वारा 66 वर्ष की आयु अभी पूरी नहीं हुई थी, अतः ऐसी स्थिति में मृतक की आयु बरवक्त दुर्घटना 65 वर्ष होना तय की जाती है ।

77. जहां तक मृतक की आय का प्रश्न है, ए.डब्ल्यू. 02 श्रीमती सुन्दरदेवी संकलेचा ने कथन किया है कि उसके पति भगवानचन्द संकलेचा मैसर्स रतनमणी स्क्रेप के नाम से बतौर प्रोपराइटर उमाकान्त पंडित उद्योग, मवड़ी प्लोट, राजकोट में स्वयं का व्यवसाय करते थे । उसके पति आयकर दाता थे जिनका स्थायी खाता संख्या AESPK8359L आवंटित था । उसके पति की वित्त वर्ष

2016–2017 कर निर्धारण वर्ष 2017–2018 में कर योग्य आय 4,44,610/– रुपये, वित्त वर्ष 2017–2018 कर निर्धारण वर्ष 2019–2020 में कर योग्य आय 4,47,779/– रुपये थी, परन्तु वक्त दुर्घटना उसके पति की 5,00,000/– रुपये से अधिक व्यवसाय से आय थी । आय के संबंध में आयकर रिटर्न संबंधी दस्तावेज प्रदर्श 91 से 95 पेश किए है । अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से की गई जिरह में इस कथन को गलत बताया है कि उसके पति की कोई आय नहीं हो । इस कथन को सही बताया है कि उसके सभी पुत्र विवाहित हैं तथा अपना–अपना धंधा कर अपना भरण पोषण करते हैं । इस कथन को गलत बताया है कि उसके पति का व्यवसाय पूर्व की भांति चल रहा हो तथा उसके द्वारा संचालित किया जाता हो । इस कथन को गलत बताया है कि उसके पति की उम्र 65 वर्ष से अधिक होने से वह व्यवसाय नहीं करते हो ।

78. बीमा कंपनी की ओर से परीक्षित साक्षी एन.ए.डब्ल्यू. 01 अमित का कथन है कि भगवानचन्द के पुत्र कुलदीप व राजीव संकलेचा स्वयं का व्यवसाय चला रहे हैं एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श एनए 04 प्रस्तुत किया है । **प्रार्थीगण की ओर से की गई जिरह में** इस कथन को सही बताया है कि भगवानचन्द संकलेचा द्वारा चलाया जा रहा व्यवसाय का जीएसटी रतनमणी स्क्रेप दिनांक 20.02.2020 को केंसल हो गया ।

79. बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श एनए 04 के अवलोकन से मृतक भगवानचन्द संकलेचा की फर्म रतनामणी स्क्रेप का जीएसटी नंबर 24AESPK8359L1ZO एवं फर्म का पता– उमाकान्त पंडित उद्योग नगर, मवड़ी प्लोट, राजकोट है, जिसका जीएसटी नंबर दिनांक 20.02.2020 को रद्द हो चुका है जिससे यह स्पष्ट है कि मृतक भगवानचन्द संकलेचा की फर्म उसकी मृत्यु उपरांत दिनांक 20.02.2020 को बंद हो चुकी है एवं उक्त व्यवसाय वर्तमान में संचालित नहीं हो रहा है ।

80. चूंकि प्रार्थीया के पति भगवानचन्द संकलेचा की मृत्यु होने के बाद उसका व्यवसाय बंद हो चुका है । तथापि, उसके पति की मृत्यु होने के बाद भी अगर

प्रार्थीया उसका व्यवसाय संचालित कर भी रही हो, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह उसके पति की आय अर्जित कर रही हो जिससे उसे उसके पति द्वारा अर्जित की जाने वाली आय की हानि होना पाया जाता है ।

81. प्रार्थीया द्वारा मृतक भगवानचन्द संकलेचा द्वारा उसके जीवनकाल में दाखिल आयकर विवरणियाँ एवं संबंधित दस्तावेज प्रदर्श 91 लगायत प्रदर्श 95 प्रदर्शित करवाए हैं जिनके अवलोकन से मृतक भगवानचन्द संकलेचा तरनामणी स्क्रेप का प्रोपराइटर होना पाया जाता है एवं प्रार्थीया द्वारा मृतक भगवानचन्द संकलेचा द्वारा उसके जीवनकाल में दाखिल आयकर विवरणियाँ प्रदर्श 92 व 93 प्रदर्शित करवाये हैं ।

82. मृतक द्वारा दाखिल अंतिम आयकर विवरणी प्रदर्श 94 है जिसमें उसकी व्यापार व प्रोफेशन से आय 4,47,300/– रुपये व बैंक से प्राप्त ब्याज 479/– रुपये होना बताया है, जिसमें से मृतक के व्यापार व प्रोफेशन से प्राप्त आय 4,47,300/– रुपये को ही प्रतिकर के निर्धारण हेतु प्रयोग में लिया जाना उचित है । प्रार्थी द्वारा Chapter–VI–A के तहत करवाई गई 1,50,000/– रुपये की कटौती के पश्चात् देय कर योग्य आय पर कर की राशि "शून्य" होने से प्रतिकर के निर्धारण हेतु मृतक की वार्षिक आय 4,47,300/– निर्धारित की जाती है ।

83. मृतक की आयु 65 वर्ष होने से **सरला वर्मा बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन 2009(2) टी.ए.सी. 677 एस.सी.** एवं **2015 ACJ 1239 Shashikala and other Vs Gangalakshamamma and another** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 07 का गुणक उपयोग में लेते हुए मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

84. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लिव पिटीशन (सिविल) नंबर 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2017 अनुसार, मृतक की उम्र 65 वर्ष 01 माह 25 दिन (60 वर्ष से अधिक) होने से उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित

अभिमतानुसार उसकी भविष्य में आय वृद्धि के लिए कोई राशि जोड़ी जाना समुचित नहीं पाया जाता है ।

85. मृतक पर आश्रित प्रार्थीगण में उसकी पत्नी एवं संतानें हैं एवं मृतक के पुत्र बालिग होकर स्वयं का व्यवसाय करते हैं, जिससे मृतक स्वयं के व्यक्तिगत खर्चे के रूप में 1/3 राशि कटौती की जाना समुचित प्रतीत होता है । इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय की हानि 4,47,300/– – 1/3 (1,49,100) = 2,98,200/– रुपये तय की जाती है ।

86. इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील नंबर 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** में प्रार्थीगण को Loss of consortium में 40,000/–, Loss of estate के रूप में 15,000/– रुपये एवं मृतक के दाह संस्कार मद में 15,000/– रुपये दिलाया जाना, जिसमें प्रत्येक 03 वर्ष की समाप्ति के पश्चात 10–10 प्रतिशत राशि जोड़कर बढ़ाया जाना सिद्धांत प्रतिपादित किया है । उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत वर्ष 2017 का है, जिसे 06 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, जिससे Loss of consortium मद में 20 प्रतिशत, Loss of estate मद में 20 प्रतिशत तथा दाह संस्कार मद में 20 प्रतिशत राशि जोड़कर मुआवजा निर्धारण किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

87. इस प्रकार प्रार्थी को दिलवाई जाने वाली प्रतिकर राशि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1.	मृतक की आयु	65 वर्ष 01 माह 25 दिन
2.	गुणक	07
3.	वार्षिक आय भविष्य की आय वृद्धि सहित (रुपए में)	4,47,300/–
4.	मृतक के स्वयं के खर्चों की 1/3 कटौती	1,49,100/–
5.	कुल आय की हानि (2,98,200 X 07)	20,87,400/–
6.	अंतिम संस्कार मद में रुपए	18,000/–
7.	Loss of estate मद में रुपए	18,000/–

8.	Loss of consortium (48,000 X 4) मद में रुपए	1,92,000/–
9.	यातायात पर हुए व्यय के पेटे	10,000/–
	कुल मुआवजा राशि	23,25,400/–

88. उपरोक्त अनुसार विवाद्यक संख्या 04 प्रार्थीगण श्रीमती सुन्दरदेवी संकलेचा वगैरह् के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है ।

<u>**विवाद्यक संख्या 06**</u>

89. उक्त विवाद्यक को सिद्ध करने का भार अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी पर था । बीमा कंपनी की ओर से एन.ए.डब्ल्यू. 01 अमित के कथन करवाये जिसका मुख्य रूप से कथन है कि प्रार्थी हार्दिक संकलेचा बालिग है एवं स्वयं का व्यवसाय करता है जिसकी स्वयं की निजी आय है एवं उसके माता–पिता व भाई पर आश्रित नहीं होने से कोई प्रतिकर प्राप्ति का अधिकारी नहीं है एवं बीमा कंपनी द्वारा दौराने बहस मुख्य रूप से यही उजर लिया गया है । बीमा कंपनी की ओर से दस्तावेज प्रदर्श एनए 01 से एनए 04 प्रदर्शित करवाये हैं ।

90. बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के बाबत पूर्वोक्त विवाद्यकों में विवेचन किया जा चुका है, जिनकी पुनरावृत्ति किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

91. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के तथावर्णित न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित मतानुसार, मोटर वाहन अधिनियम मुआवजे का दावा करने के अधिकार को केवल आश्रितों तक सीमित नहीं करती, बल्कि मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों तक विस्तारित करती है । इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के आधिकारिक निर्णयों के आलोक में, बीमा कंपनी द्वारा आश्रितता के अभाव के संबंध में उठाया गया तर्क खारिज योग्य है एवं मृतक के कानूनी प्रतिनिधि को मुआवजे के लिए आवेदन करने एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है ।

92. बीमा कंपनी की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में कुल 16 न्यायिक

दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं जिनमें से ***K. Ramya (Supra), National Insurance Co. Ltd. Vs Pranay Sethi (Supra), National Insurance Co. Ltd. Vs Birender (Supra), Sarla Verma (Supra)*** व ***Manjuri Bera (Supra)*** न्यायिक निर्णयों के संबंध में पूर्व के विवाद्यकों में विवेचन किया जा चुका है एवं उक्त विवाद्यक प्रार्थी के पक्ष में होना पाए जाते हैं एवं अप्रार्थी बीमा कंपनी को उक्त विवाद्यकों से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है ।

93. बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टांत प्रतिकर की मात्रा और मुआवजे के संबंध में है, जबकि प्रतिकर की मात्रा के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***K. Ramya (Supra), National Insurance Co. Ltd. Vs Pranay Sethi (Supra)*** व ***Sarla Verma (Supra)*** जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **"Reportable"** न्यायिक निर्णय हैं, जिनमें प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में प्रतिकर के संबंध पूर्व के विवाद्यकों में विस्तृत विवचेन किया जा चुका है । अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है ।

94. अतः विवाद्यक संख्या 06 अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के विरुद्ध एवं प्रार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है ।

<u>अनुतोष</u>

95. चूंकि विवाद्यक संख्या 01 ता 05 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विवाद्यक संख्या 06 अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के विरुद्ध निर्णीत किये गये हैं जिससे प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुआवजा याचिकाएँ स्वीकार योग्य पाई जाती हैं ।

– आदेश –

96. अतः प्रार्थी हार्दिक संकलेचा की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका संख्या 32/2021 अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 संशोधित अधिनियम 1994 स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में राशि **12,86,961/–** (अक्षरे बारह लाख छियासी हजार नौ सौ इकसठ रुपये मात्र) का एवार्ड पारित किया जाता है ।

97. प्रार्थी, अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्ततः व पृथकतः कुल राशि **12,86,961/–** (अक्षरे बारह लाख छियासी हजार नौ सौ इकसठ रुपये मात्र) आवेदन प्रस्तुति दिनांक 27.01.2021 से तावसूली 07 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी है ।

98. यदि पूर्व में दोषरहित दायित्व के अधीन कोई राशि अदा की गई है तो वह राशि अवार्ड राशि में समायोजित होगी । अप्रार्थी उपरोक्त राशि का भुगतान 30 दिवस में करे । मुआवजा राशि जमा होने के बाद यदि एक माह की अवधि में प्रार्थी द्वारा क्लेम राशि प्राप्त किये जाने हेतु अधिकरण में आवेदन पेश नहीं किया जाये उस स्थिति में जमा संपूर्ण मुआवजा राशि अधिकरण के नाम 06 माह की अवधि के लिए सावधि खाते में जमा करवाई जाये । सावधि खाते में प्रकरण संख्या व प्रकरण का शीर्षक अंकित किया जाये । प्रार्थी अविलम्ब स्वयं का बचत खाता खुलवाकर पास बुक की नकल प्रस्तुत करे । जमाशुदा राशि प्रार्थी को जरिये बचत खाता अदा हो ।

99. इस राशि में से प्रार्थी के पक्ष में निम्नलिखित राशि विवरणिका में अंकित अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा करवाई जावेः–

03 वर्ष हेतु	**06 वर्ष हेतु**	**09 वर्ष हेतु**	**कुल राशि**
4,00,000/–	4,00,000/–	4,00,000/–	12,00,000/–

100. शेष राशि 86,961/– रुपये एवं ब्याज, प्रार्थी को नकद अदा की जाए ।

101. प्रार्थी हार्दिक संकलेचा की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका संख्या 33/2021 अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 संशोधित अधिनियम 1994 स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में राशि **61,24,805/–** (अक्षरे इकसठ लाख चौबीस हजार आठ सौ पाँच रुपये मात्र) का एवार्ड पारित किया जाता है ।

102. प्रार्थी, अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्ततः व पृथकतः कुल राशि **61,24,805/–** (अक्षरे इकसठ लाख चौबीस हजार आठ सौ पाँच रुपये

मात्र) आवेदन प्रस्तुति दिनांक 27.01.2021 से तावसूली 07 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी है ।

103. यदि पूर्व में दोषरहित दायित्व के अधीन कोई राशि अदा की गई है तो वह राशि अवार्ड राशि में समायोजित होगी । अप्रार्थी उपरोक्त राशि का भुगतान 30 दिवस में करे । मुआवजा राशि जमा होने के बाद यदि एक माह की अवधि में प्रार्थी द्वारा क्लेम राशि प्राप्त किये जाने हेतु अधिकरण में आवेदन पेश नहीं किया जाये उस स्थिति में जमा संपूर्ण मुआवजा राशि अधिकरण के नाम 06 माह की अवधि के लिए सावधि खाते में जमा करवाई जाये । सावधि खाते में प्रकरण संख्या व प्रकरण का शीर्षक अंकित किया जाये । प्रार्थी अविलम्ब स्वयं का बचत खाता खुलवाकर पास बुक की नकल प्रस्तुत करे । जमाशुदा राशि प्रार्थी को जरिये बचत खाता अदा हो ।

104. इस राशि में से प्रार्थी के पक्ष में निम्नलिखित राशि विवरणिका में अंकित अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा करवाई जावेः–

क्र.सं.	**वर्ष**	**राशि**
01.	02 वर्ष हेतु	10,00,000/–
02.	04 वर्ष हेतु	10,00,000/–
03.	06 वर्ष हेतु	10,00,000/–
04.	08 वर्ष हेतु	10,00,000/–
05.	10 वर्ष हेतु	9,00,000/–
06.	12 वर्ष हेतु	9,00,000/–
कुल राशि		58,00,000/–

105. शेष राशि 3,24,805/– रुपये एवं ब्याज, प्रार्थी को नकद अदा की जाए।

106. प्रार्थी हार्दिक संकलेचा की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका संख्या 34/2021 अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 संशोधित अधिनियम 1994 स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में राशि **58,03,024/–** (अक्षरे

अट्ठावन लाख तीन हजार चौबीस रुपये मात्र) का एवार्ड पारित किया जाता है ।

107. प्रार्थी, अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्ततः व पृथकतः कुल राशि **58,03,024/–** (अक्षरे अट्ठावन लाख तीन हजार चौबीस रुपये मात्र) आवेदन प्रस्तुति दिनांक 27.01.2021 से तावसूली 07 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी है ।

108. यदि पूर्व में दोषरहित दायित्व के अधीन कोई राशि अदा की गई है तो वह राशि अवार्ड राशि में समायोजित होगी । अप्रार्थी उपरोक्त राशि का भुगतान 30 दिवस में करे । मुआवजा राशि जमा होने के बाद यदि एक माह की अवधि में प्रार्थी द्वारा क्लेम राशि प्राप्त किये जाने हेतु अधिकरण में आवेदन पेश नहीं किया जाये उस स्थिति में जमा संपूर्ण मुआवजा राशि अधिकरण के नाम 06 माह की अवधि के लिए सावधि खाते में जमा करवाई जाये । सावधि खाते में प्रकरण संख्या व प्रकरण का शीर्षक अंकित किया जाये । प्रार्थी अविलम्ब स्वयं का बचत खाता खुलवाकर पास बुक की नकल प्रस्तुत करे । जमाशुदा राशि प्रार्थी को जरिये बचत खाता अदा हो ।

109. इस राशि में से प्रार्थी के पक्ष में निम्नलिखित राशि विवरणिका में अंकित अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा करवाई जावेः–

क्र.सं.	**वर्ष**	**राशि**
01.	03 वर्ष हेतु	11,00,000/–
02.	06 वर्ष हेतु	11,00,000/–
03.	09 वर्ष हेतु	11,00,000/–
04.	12 वर्ष हेतु	11,00,000/–
05.	15 वर्ष हेतु	11,00,000/–
कुल राशि		55,00,000/–

110. शेष राशि 3,03,024/– रुपये एवं ब्याज, प्रार्थी को नकद अदा की जाए।

111. प्रार्थीगण श्रीमती सुन्दरदेवी संकलेचा वगैरह् की ओर से प्रस्तुत क्लेम

याचिका संख्या 35/2021 अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 संशोधित अधिनियम 1994 स्वीकार कर प्रार्थीगण के पक्ष में राशि **23,25,400/–** (अक्षरे तेबीस लाख पच्चीस हजार चार सौ रुपये मात्र) का एवार्ड पारित किया जाता है।

112. प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्ततः व पृथकतः कुल राशि **23,25,400/–** (अक्षरे तेबीस लाख पच्चीस हजार चार सौ रुपये मात्र) आवेदन प्रस्तुति दिनांक 27.01.2021 से तावसूली 07 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

113. यदि पूर्व में दोषरहित दायित्व के अधीन कोई राशि अदा की गई है तो वह राशि अवार्ड राशि में समायोजित होगी। अप्रार्थी उपरोक्त राशि का भुगतान 30 दिवस में करे। मुआवजा राशि जमा होने के बाद यदि एक माह की अवधि में प्रार्थीगण द्वारा क्लेम राशि प्राप्त किये जाने हेतु अधिकरण में आवेदन पेश नहीं किया जाये उस स्थिति में जमा संपूर्ण मुआवजा राशि अधिकरण के नाम 06 माह की अवधि के लिए सावधि खाते में जमा करवाई जाये। सावधि खाते में प्रकरण संख्या व प्रकरण का शीर्षक अंकित किया जाये। प्रार्थीगण अविलम्ब स्वयं का बचत खाता खुलवाकर पास बुक की नकल प्रस्तुत करें। जमाशुदा राशि प्रार्थीगण को जरिये बचत खाता अदा हो।

114. इस राशि में से प्रार्थीगण के पक्ष में निम्नलिखित राशि विवरणिका में अंकित अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा करवाई जावेः–

प्रार्थी संख्या	**03 वर्ष हेतु**	**06 वर्ष हेतु**	**09 वर्ष हेतु**	**कुल राशि**
प्रार्थीया संख्या 01	6,00,000/–	6,00,000/–	6,00,000/–	18,00,000/–
प्रार्थी संख्या 02	50,000/– नकद	–	–	50,000/–
प्रार्थी संख्या 03	50,000/– नकद	–	–	50,000/–
प्रार्थी संख्या 04	50,000/– नकद	–	–	50,000/–
कुल राशि				19,50,000/–

115. शेष राशि 3,75,400/– रुपये एवं ब्याज, प्रार्थीया संख्या 01 को नकद अदा की जाए ।

116. प्रकरण का खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे । उपरोक्तानुसार पर्चा एवार्ड मुर्तिब हो ।

(एम.आर.सुथार)
न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
बालोतरा

117. निर्णय आज दिनांक 17.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(एम.आर.सुथार)
न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
बालोतरा

I checked all the documents are right.
Digitally signed by HITESH MANGNANI
Location: Balotra
Date: 2026.08.20 14:02:25 +0530